प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम, 1979

भारत के असाधारण राजपत्र भाग 3 खण्ड 4 में प्रकाशित

नई दिल्ली, नवम्बर 14, 1979

फा० सं० 25/1/79-पी० सी० आई०—भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 (1978 का 37) की धारा 26 के खण्ड (ग) तथा उसे समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन विनियमों का नाम प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम, 1979 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) "अधिनियम" से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) अभिप्रेत है;

(ख) "समिति से अधिनियम की धारा 13 (2) और 14 (1) के अधीन परिवादों की जाँच के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 8 (1) के अधीन परिषद् द्वारा गठित जाँच समिति अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम के अधीन गठित भारतीय प्रेस परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "परिवादी" से अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन परिवादों के मामले में ऐसा कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जो किसी समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के सम्बन्ध में परिषद् का परिवाद प्रस्तुत करता है और अन्य विषयों के सम्बन्ध में परिवादों की बाबत ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में परिषद् को परिवाद प्रस्तुत करता है जिसे ग्रहण करने की ओर जिसकी परीक्षा करने और जिस पर अपना मत व्यक्त करने की, परिषद् को अधिकारिता प्राप्त है और

(ङ) "विषय" से कोई लेख समाचार, मद, समाचार रिपोर्ट या कोई अन्य ऐसा विषय अभिप्रेत है जो किसी भी रीति से किसी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया है या किसी समाचार अभिकरण द्वारा पारेषित किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई कार्टून चित्र, फोटोचित्र, सामग्री या कोई विज्ञापन शामिल है, जो किसी समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है।

3. अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन किसी समाचारपत्र, समाचार अभिकरण सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के सम्बन्ध में परिवाद की अन्तर्वस्तु—

(1) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन किसी समाचारपत्र या समाचार अभिकरण में किसी विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन के सम्बन्ध में परिषद् को कोई परिवाद करता है तो,

(क) वह उस समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार का नाम और पता देगा जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है और यदि परिवाद किसी समाचारपत्र में किसी विषय के प्रकाशन से सम्बन्धित है या किसी अभिकरण द्वारा पारेषण से संबंधित है तो परिवाद के साथ उस विषय की मूल कटिंग भी प्रस्तुत करेगा जिसकी बाबत परिवाद किया गया है। साथ ही ऐसी विशिष्टियाँ भी देगा जो परिवाद की विषयवस्तु से सुसंगत हैं; और यदि परिवाद किसी विषय के अप्रकाशन से सम्बन्धित है तो उस विषय को मूल रूप में या उसकी प्रति प्रस्तुत करेगा जिसके अप्रकाशन की बाबत परिवाद किया गया है।

(ख) इस बात का कथन करेगा कि किस रीति में परिवादित विषय का प्रकाशन या अप्रकाशन, अधिनियम की धारा 14 (1) के अर्थ में आपत्तिजनक है;

(ग) परिषद् के समक्ष परिवाद फाइल करने से पूर्व, संबंधित समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार का ध्यान समाचारपत्र आदि में प्रकाशित विषय की ओर या ऐसे विषय के अप्रकाशन की ओर या ऐसे विषय के अप्रकाशन की ओर आकर्षित करेगा जो परिवादी की राय में आपत्तिजनक है और वह यथास्थिति, समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को ऐसी राय के आधार प्रस्तुत करेगा। परिवादी अपने परिवाद के साथ ही उस पत्र की, जो उसने समाचारपत्र, समाचार अभिकरण संपादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार को लिखा है, एक प्रति और यदि उसका उसे कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो उसकी एक प्रति भी संलग्न करेगा परन्तु अध्यक्ष इस शर्त का स्वविवेकानुसार अधित्यजन कर सकेंगे।

(घ) यदि परिवाद यह है कि किसी सम्पादक ने या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने किसी समाचारपत्र में किसी विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन से भिन्न कोई वृत्तिक अवचार किया है तो, परिवादी उन तथ्यों के बारे में जो उसके मतानुसार, परिवाद को न्यायोचित ठहराते हैं, स्पष्ट ब्यौरे उपवर्णित करेगा और ऐसे परिवाद को उक्त खण्ड (ग) के उपबंध भी लागू होंगे।

(ङ) प्रत्येक दशा में, परिषद् के समक्ष सभी अन्य सुसंगत तथ्य रखेगा; और

(च) (1) किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी के सम्बन्ध में किसी विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन से सम्बन्धित किसी परिवाद के मामले में, परिवाद संबंधित विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के भीतर परिषद् को प्रस्तुत किया जायेगा, अर्थात्—

(क) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियाँ और साप्ताहिक—दो मास के भीतर।

(ख) अन्य सभी मामलों में—चार मास के भीतर : परन्तु किसी पूर्वतर तारीख के सुसंगत प्रकाशन का परिवादों में संदर्भ दिया जा सकेगा।

(II) उक्त खण्ड (घ) के अधीन किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार के विरुद्ध किसी परिवाद के मामले में परिवाद परिवादित अवचार के चार मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु यदि परिषद् का इस बाबत, समाधान हो जाता है कि परिवादी ने तत्काल कार्रवाई की है, किन्तु विनियम 3 (1) (च) के उपखण्ड (1) या उपखण्ड (II) के अधीन विहित अवधि के भीतर परिवाद निवेशित करने में विलम्ब, उक्त उपखंड (ग) में अधिकथित शर्त के अनुपालन में लगे समय के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण हुआ है तो वह विलंब माफ कर देगी और परिवाद ग्रहण कर सकेगी। माफ करने की शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष, परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, करेंगे।

(2) परिवादी, परिवाद प्रस्तुत करते समय उनमें सबसे नीचे निम्नलिखित प्रभाव की उद्घोषणा करेगा :

(1) यह कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसने परिषद् के समक्ष सभी सुसंगत तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं और परिवाद में अभिकथित किसी विषय के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लम्बित नहीं है;

(11) यह कि यदि परिषद् के समक्ष जाँच लम्बित रहने के दौरान परिवाद में अभिकथित कोई विषय किसी न्यायालय में चल रही किसी कार्रवाई की विषयवस्तु हो जाता है तो वह उसकी सूचना परिषद् को तुरन्त देगा।

4. **परिवाद वापिस करना**—(1) यदि परिवादी विनियम (3) की अध्यपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है तो अध्यक्ष परिवाद वापिस कर सकेगा और परिवादी से यह माँग कर सकेगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षाओं का अनुपालन करे और परिवाद को ऐसे समय के भीतर जो वह इस बाबत नियत करे, पुनः प्रस्तुत करे।

(2) परिवादी को परिवाद वापिस कर दिए जाने के कारण बताए जायेंगे।

5. **नोटिस जारी करना**—(1) यथासाध्य शीघ्र और परिवाद की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के पश्चात् अध्यक्ष के निर्देश के अधीन परिवाद की एक प्रति उस समाचारपत्र समाचार एजेंसी, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को भेजी जाएगी जिसके विरुद्ध विनियम 3 के अधीन परिवाद किया गया है। ऐसी प्रति के साथ ही एक नोटिस देकर तथा स्थिति, समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार से इस बाबत कारण बताने की अध्यपेक्षा को जाएगी कि अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई क्यों न

की जाए। परन्तु समुचित मामलों में अध्यक्ष, ऐसी नोटिस के जारी किए जाने के लिए समय में वृद्धि, स्वविवेकानुसार कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष की यह राय है कि जाँच करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो वह ऐसे समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को कारण बताने का नोटिस जारी न करने का विनिश्चय कर सकता है। अध्यक्ष परिषद् के अगले अधिवेशन में "कारण बताओ" नोटिस जारी न करने में विनिश्चिय करने के कारण बताएगा और परिषद् ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे।

(2) उक्त उप-विनियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना सम्बन्धित समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा, परिवाद में बताए गए पते पर, भेजी जाएगी।

6. **लिखित कथन फाइल करना**—(1) जिस समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के विरुद्ध परिवाद किया गया है, वह विनियम 5 के अधीन परिवाद की प्रति या नोटिस तामील होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो अध्यक्ष इस बाबत अनुज्ञात करें, परिवाद के उत्तर में कोई लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) लिखित कथन प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति परिवादी को, उसकी जानकारी के लिए अग्रेषित की जाएगी।

(3) परिवाद या लिखित कथन प्राप्त होने के पश्चात, अध्यक्ष यदि वह आवश्यक समझता है तो, ऐसे किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए जो किसी परिवाद या लिखित कथन से प्रकट हुआ है, यथास्थिति, परिवादी से या प्रत्यार्थी समाचारपत्र, समाचार एजेंसी सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार से कोई अतिरिक्त जानकारी माँग सकेगा और ऐसा करते समय वह ऐसे दस्तावेज़ या अन्य कथन भी माँग सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे। उसके द्वारा माँगे गए सभी दस्तावेज़ और कथन अभिलेख के भाग रूप होंगे और वे जाँच के समय समिति के समक्ष रखे जायेंगे ।

7. **अतिरिक्त विशिष्टियाँ आदि मँगाने की शक्ति**—समिति, परिवाद और लिखित कथन पर विचार करने के पश्चात मामले की विषयवस्तु से सुसंगत ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियाँ या दस्तावेज, दोनों पक्षकारों से या किसी पत्रकार से माँग सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

8. **ऐसे परिवाद को नामंजूर करना जिसमें पहले जाँच की जा चुकी है**—(1) यदि परिवाद में जाँच करने के दौरान किसी समय समिति को यह प्रतीत होता है कि परिवाद की विषयवस्तु सारतः वही है या उसके अंतर्गत आ जाती है जो किसी ऐसे पूर्ववर्ती परिवाद की थी जिस पर परिषद् ने इन विनियमों के अधीन विचार किया था, तो समिति परिवादी

की, यदि वह चाहता है तो सुनवाई करेगी और यदि समिति आवश्यक समझती है तो, यथास्थिति, समाचारपत्र, समाचार एजेंसी सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार की भी सुनवाई करेगी और अपनी सिफारिश परिषद् से करेगी तथा परिषद् ऐसे आदेश कर सकेगी जैसे वह आवश्यक समझे और वे पक्षकारों को सम्यक रूप से संसूचित किये जायेंगे।

9. समिति द्वारा जाँच—सुनवाई का समय, तारीख तथा स्थान की सूचना, परिवादी तथा यथास्थिति, समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक तथा श्रमजीवी पत्रकार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। समिति के समक्ष जाँच के दौरान पक्षकार अपने विषय के समर्थन में, सुसंगत साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेज़, प्रस्तुत कर सकेंगे तथा अपनी बात कह सकेंगे।

(2) जाँच की समाप्ति पर, समिति परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों पर कारणों सहित अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देगी और मामले का अभिलेख परिषद् को भेजेगी।

10. परिषद् का विनिश्चय—(1) परिषद् मामले का अभिलेख देखने के बाद अपना विनिश्चय देते हुए आदेश पारित करेगी या समिति की ओर आगे ऐसी जाँच जैसी परिषद् आवश्यक समझे, करने के लिए मामला वापस भेज सकेगी तथा उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला निपटा सकेगी।

(2) प्रत्येक मामला उपस्थित तथा परिषद् के मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से अवधारित किया जायेगा और मत बराबर होने पर, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(3) मामले में परिषद् का आदेश पक्षकारों को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।

11. पक्षकारों की उपस्थिति—इन विनियमों के अधीन किसी जाँच में, सम्पादक, समाचार एजेंसी या अन्य श्रमजीवी पत्रकार या सरकार सहित कोई प्राधिकारी या संपादक द्वारा समाचारपत्र, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, व्यक्तिगत रूप में या, यथास्थिति समिति अथवा परिषद् की अनुमति से, काउन्सेल या सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो सकेगा।

12. सदस्यों की कुछ मामलों में विचार-विमर्श करने तथा मत देने संबंधी शक्ति पर निर्बन्धन—समिति का कोई भी सदस्य तथा परिषद् का कोई भी सदस्य किसी ऐसे परिवाद पर, जो समिति या परिषद् के अधिवेशन में विचारार्थ पेश है, हो रहे विचार-विमर्श में उस दशा में भाग नहीं ले सकेगा और न मत दे सकेगा। जब वह ऐसे मामले में व्यक्तिगत रूप से संबंधित है या जिसमें उसका या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष हित है या जिसमें वह मुवक्किल की ओर से वृत्तिक रूप में या यथास्थिति किसी समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में हित रखता है।

13. **स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने की शक्ति**—अध्यक्ष, किसी भी ऐसे मामले के संबंध में जो अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत आता है या अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले से संबंधित है या उसके बारे में है, स्वप्रेरणा से, यथास्थिति नोटिस जारी कर सकेगा या कार्रवाई कर सकेगा और तब नियम 4 के आगे इन नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार कि विनियम 3 के अधीन परिवाद में किया जाता है।

14. **धारा 13 के अधीन परिवादों के बारे में प्रक्रिया**—अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन परिवादों के बारे में इन नियमों द्वारा विहित प्रक्रिया, जहाँ तक हो, उन परिवादों तथा अभ्यावेदनों पर भी लागू होगी जो धारा 13 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में परिषद् प्राप्त करे।

15. **इन विनियमों में जिन मामलों को लक्षित नहीं किया गया है उनके बारे में प्रक्रिया**—परिषद् तथा समिति को किसी भी ऐसे मामले के, जिसकी बाबत इन विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है, के बारे में अपने विनियम और प्रक्रिया बनाने की शक्ति है और उपयुक्त मामलों में जाँच बन्द कमरे में करने की भी शक्ति है।

हस्ताक्षर
(वी० पी० मलिक)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

□